

उत्तर पश्चिम रेलवे



संख्या:- 615-E/0/Pass

प्रधान कार्यालय

जयपुर

आर.बी.ई.सं. ३४/२०१२

दिनांक २४/३/२०१२

मण्डल रेल प्रबंधक / कार्मिक— जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
मुख्य कारखाना प्रबंधक— अजमेर, जोधपुर, बीकानेर

उप मुख्य सामग्री प्रबंधक— अजमेर, जोधपुर

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण— जयपुर

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रका.— जयपुर

सचिव / महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक / सतर्कता प्रका.— जयपुर

मुख्य राजभाषा अधिकारी / प्रका.— जयपुर

अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड— अजमेर

प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान— उदयपुर

प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र— जोधपुर

उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.— जयपुर

सहायक सचिव / गोपनीय — महाप्रबंधक प्रका.— जयपुर

मुख्य खजांची रोकड एवं वेतन विभाग प्रका.— जयपुर

निजी सचिव / महाप्रबंधक, वित सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.— जयपुर.

विषय :- Validity of Duty passes for travel in Duronto Express Trains

संदर्भ :- रेलवे बोर्ड का पञ्च सं. E(W) २००९ प्र. ५-१/३० DR २१/३/२०१२

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि. २१/३/१२ की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन एवं सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

सलांगन— यथोक्त।

प्रतिलिपि:-

- | | | |
|-----|-------------------------------|--------------|
| 7. | महासचिव— एनडब्ल्यूआरईयू | 15 प्रतियाँ। |
| 8. | महासचिव— यूपीआरएमएस | 15 प्रतियाँ। |
| 9. | महासचिव— एससी / एसटी एसो. | 15 प्रतियाँ। |
| 10. | महासचिव— ओबीसी एसो. | 05 प्रतियाँ। |
| 11. | महासचिव— पदोन्नत अधिकारी एसो. | 05 प्रतियाँ। |

(आर.के.शर्मा)
कृते महाप्रबंधक / कार्मिक



R.B.E No. / 37/ 2012

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड)

No. E(W)2009 PS 5-1/30

New Delhi, dated 21 March 2012

NWR
**The General Managers (Personnel & Commercial)
All Indian Railways &
Production Units.**

Sub: Validity of Duty Passes for travel in Duronto Express Trains.

Ref.: Railway Board letter No.TC-II/2910/09/Duronto Train dated 30-9-2009 (Commercial Circular No.53 of 2009)

Instructions have been issued vide Board's letter No. TC-II/2910/09/Duronto Train dated 30-9-2009 (Commercial Circular No.53 of 2009) regarding the basic fare structure and classes of travel available on Duronto Express Trains. With a view to facilitate inspection of these trains, the issue to allow 'Duty Passes' on Duronto Express Trains was under consideration in Board's Office.

2. After careful consideration, it has been decided to allow railway officials to travel in Duronto Express Trains while traveling **ON DUTY** only subject to the following :


- (i) The entitlement of Railway officer/staff to travel in Duronto Express trains will be same as that in case of Rajdhani Express trains with the only exception that the highest class in which they can travel in these trains will be 2 AC and not 1 AC.
- (ii) The maximum number of berths/seats which can be booked in a train per trip will be as under:

II AC	4 berths
III AC	6 berths
A.C. Chair Car	6 seats

- (iii) At the time of booking tickets against this quota, only wait listed ticket will be issued and the berths will be confirmed at the time of release of Emergency Quota, on receipt of request keeping in view the inter-se seniority of officers/urgency of travel etc.

- (iv) At the time of preparation of reservation charts, the unutilized accommodation earmarked for this purpose shall get released to RAC/Wait-listed passengers.
- (v) The accommodation to be earmarked for onboard ticket checking staff manning the train will be on the pattern of Rajdhani Express trains.
- (vi) CTC Squad of Railway Board and CCMs' Squad of zonal Railways and staff of Vigilance Department can conduct surprise checks in these trains on the authority of duty pass without advance reservation.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
4. Receipt of this letter may please be acknowledged.


(Sanjay Manocha)

Dy. Director Traffic Commercial(General-II)
Railway Board


(N.C. Jain)

Dy. Director Estt. (Welfare)
Railway Board

No. E(W)2009 PS 5-1/30

New Delhi, dated 21 March 2012

Copy to :-

The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways),
Room No.224, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares).


for Financial Commissioner/Railways.

No. E(W)2009 PS 5-1/30

New Delhi, dated 21 March 2012

Copy forwarded to :-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.256-E, Rail Bhavan, N.Delhi. (with 35 spares)
2. The General Secretary, NFIR, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi. (with 35 spares)
3. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares)
4. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association (with 5 spares)

Contd.....03/-

आरबीई सं. 37 /2012

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (डब्ल्यू) 2009/पीएस 5-1/30

नई दिल्ली, दिनांक: 21.3.2012

महाप्रबंधक (कार्मिक एवं वाणिज्यिक),
सभी क्षेत्रीय रेल एवं
उत्पादन इकाइयां।

विषय: दूरान्तो एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में यात्रा के लिए ड्यूटी पास की वेधता।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 30.09.2009 का पत्र सं.टीसी- ॥/2910/09/दूरान्तो ट्रेन (2009 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.53)

बुनियादी किराया संरचना और दूरान्तो एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में उपलब्ध यात्रा की श्रेणियों के संबंध में बोर्ड के दिनांक 30.09.2009 के पत्र सं.टीसी- ॥/2910/09/दूरान्तो ट्रेन (2009 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.53) के तहत अनुदेश जारी किए गए हैं। इन रेलगाड़ियों के निरीक्षण की सुविधा के महेनजर दूरान्तो एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में 'ड्यूटी पास' को अनुमति दिए जाने के मामले पर बोर्ड कार्यालय में विचार किया गया था।

2. समुचित विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित के अध्यधीन दूरान्तो एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में रेल अधिकारियों को केवल आँन ड्यूटी यात्रा करने के समय ही यात्रा करने की अनुमति देने का विनिश्चय किया गया है:

- (i) दूरान्तो एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में रेल अधिकारी/कर्मचारी की पात्रता वही होगी जो राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में होती है, सिवाय एक अपवाद के कि इन गाड़ियों में उच्चतम श्रेणी, जिसमें वे यात्रा कर सकते हैं, 2एसी होगी न कि 1एसी।
- (ii) बर्थों/सीटों की अधिकतम संख्या, जिसे प्रति ट्रिप एक गाड़ी में बुक किया जा सकता है, निम्नानुसार होगी:

11 एसी	4 बर्थ
111 एसी	6 बर्थ
एसी चेयर कार	6 सीट

- (iii) इस कोटा में टिकटों की बुकिंग के समय केवल प्रतीक्षा सूची वाले टिकट ही जारी किए जाएंगे और इन बर्थों को अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता/यात्रा की तात्कालिकता आदि को ध्यान में रखते हुए अनुरोध प्राप्त होने पर आपातकालीन कोटा के जारी किए जाने के समय ही कन्फर्म किया जाएगा।

- (iv) आरक्षण चार्टों के तैयार किए जाने के समय इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किए गए अप्रयुक्त एकोमोडेशन को आरएसी/प्रतीक्षा-सूची वाले यात्रियों को जारी कर दिया जाएगा।
- (v) गाड़ी में ऑन बोर्ड टिकट चैकिंग स्टाफ के लिए निर्धारित किया जाने वाला एकोमोडेशन राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तर्ज पर ही होगा।
- (vi) रेलवे बोर्ड के सीटीसी दस्ते और ज़ोनल रेलों के सीसीएम दस्ते तथा सतर्कता विभाग के कर्मचारी बिना अग्रिम आरक्षण के ड्यूटी पास के प्राधिकार पर इन गाड़ियों में औचक जांच कर सकते हैं।
3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
4. कृपया इस पत्र की पावती दें।

नेशनल
रेलवे बोर्ड

(एन. सी. जैन)

उप निदेशक स्था. (कल्याण)

रेलवे बोर्ड

(संजय मनोचा)

उप निदेशक यातायात वाणिज्य (सामान्य- 11)

रेलवे बोर्ड

सं. ई (डब्ल्यू) 2009/पीएस 5-1/30

नई दिल्ली, दिनांक: 21.3.2012

प्रतिलिपि प्रेषित:

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई (डब्ल्यू) 2009/पीएस 5-1/30

नई दिल्ली, दिनांक: 21.3.2012

प्रतिलिपि प्रेषित:

- महासचिव, एआईआरएफ, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- महासचिव, एनएफआईआर, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियों सहित)।
- सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
- अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
- महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियों सहित)।